कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पंत्राक– 1231 /मीरजापुर/ 15 दिंनाक, मीरजापुर सितम्बर 26, 2019

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
ओबरा–सी बैढ़न ट्रांसमिशन लिमिटेड,
पता– मकान न0–116, ग्रीन पार्क कालोनी, बिलासपुर रोड,
बरेली उ0प्र0, पि0को0– 243006।

विषय– 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर– ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु प्रस्तावित पारेषण लाइन का संरक्षण से प्रभावित 46.879 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनुमति प्रस्ताव ।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक–OCBTL/F4WL/24, दिनांक 10.09.2019 जो इस कार्यालय को दिनांक 19.09.2019 को उपलब्ध कराया गया।

महोदय,

400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर– ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु प्रस्तावित पारेषण लाइन का संरक्षण से प्रभावित 46.879 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव संख्या– **FP/UP/TRANS/40906/2019** आप द्वारा दिनांक 19.09.2019 को इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्रांक–11/मि0स0/618/2010–17/यू0पी0/राज0/दिल्ली/111/37 दिनांक 23.06.2017 एवं उक्त के क्रम में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–17/11–सी, लखनऊ दिनांक 04.07.2017 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव में संलग्न होने वाले आवश्यक प्रमाण पत्रों की सूची के अनुसार मिलान करने पर प्रस्ताव में निम्नलिखित अभिलेख/सूचना प्रेषित किया जाना आवश्यक है:–

1– यह कि आप द्वारा Online प्रेषित प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/ 40906/2019 इस स्तर पर प्रदर्शित न होकर आप User Agency पर प्रदर्शित हो रहा है।

2– यदि भूमि लीज पर दी जानी हो तो लीज अवधि प्रमाण पत्र तथा जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित वन भूमि का मूल्य, लीज रेंट व प्रीमियम का निर्धारण।

3– प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु समतुल्य गैर वनभूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने की वचनबद्धता /विवरण एवं उसपर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का विस्तृत प्रॉक्कलन ।

4– प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित लैण्ड शेड्यूल ।

5– परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश ।

6– प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या, प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार उसका मूल्य, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।

7– पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों की गणना एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों की अलग सूची , वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित ।

8– प्रस्तावित निमार्ण कार्य से लाभान्वित होने वाले ग्रामों, परिवारों एवं जनसंख्या का विवरण ।

9– भूमि की भू–गर्भीय संरचना का भूगर्भ शास्त्री का प्रमाण पत्र ।

10– योजना आयोग द्वारा गठित "टास्क फोर्स" की संस्तुतियों के मान्य होने का प्रमाण पत्र ।

11– जिला परियोजना का अनुमोदन उत्तर प्रदेश शासन व भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से आवश्यक हो, उस अनुमोदन का प्रमाण पत्र ।

12– क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित प्रमाण पत्र / वचनबद्धता ।

13– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी / निदेशक द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital map जो Kml shp file में हो तथा सी0डी0 सहित

14– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी / निदेशक द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र ।

15– प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता ।

16– प्रस्तावित वन भूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता ।

17– भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) का अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

18– वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 03/2009 को निर्गत पत्र के अनुसार सम्बन्धित ग्राम सभाओं, उप जिला स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति से पारित मूल प्रस्ताव तथा निर्धारित प्रारूप में जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र एवं तिथि सहित हस्ताक्षरक का नाम अथवा भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 28.10.2014 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र ।

19– पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

20– मलवा / उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation Plan जो प्रभागीय निदेशक / वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

21– गैर वनभूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्तारण के लिये भूमि स्वामित्व का सहमति पत्र ।

22– पावर ऑफ एटार्नी ।

अतः अनुरोध है अपूर्ण प्रस्ताव को अपने कार्यालय के प्रतिनिधि को भेजकर वापस मगवाने का कष्ट करें तथा अपेक्षित सूचनाओं / अभिलेखों सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित करें ताकि प्रकरण में स–समय नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 1231 अ / समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ।
2. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ।
3. जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर